

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>प्रा.पत्र 42/2022 हुक्म या कार्यवाही मयू इनिशियल्स जज पर्वतसिंह vs सखार (2022/77)</p>	<p>जम्मा अहकाम हुक्म को में जारी</p>
<p>11/03/2024</p>	<p>इतिवृत्त प्राप्ति एवं वेबोकार सखार उपस्थित। इतिवृत्त प्राप्ति ने पर्वतसिंह, शत्रुघ्नसिंह एवं गेविसरसिंह के द्वारा पत्र प्रस्तुत किए जो शामिल पत्रावली किए जाते। वही उभय पक्ष पुनी गई। इसके अंतर्गत या अवलोकन/अहकाम का प्रेषण पत्र, जकार प्रा.पत्र एवं वही उभय पक्ष पर गहनता से मगन किया। प्राप्ति ग्राम डोरडी पंचायत जालमपुरा के अंतर्गत (खंडा 133 पर दर्ज आराजी नम्बर 61 अकार 0.0300 है। जो अंकित नाम शिवसिंह पिता हिम्मतसिंह के अकार पर्वतसिंह पिता हिम्मतसिंह अंकित किए जाते हेतु अर्जित धारा 136 LR बिल के तहत प्रेषण पत्र प्रस्तुत किया है। धारा 136 LR बिल के तहत गत वेबोकार के अकारवले नवीन रेकार्ड में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे सुद्धि किए जाने के आवधान है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण नाम परिवर्तन किए जाने वास्तव है, जिससे प्रकरण धारा 136 LR बिल के तहत दोषणीय नहीं है। अतः प्राप्ति का प्रेषण पत्र स्वारीज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से भ्रम हो।</p> <p style="text-align: center;">(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपसचिव अधिकारी जिलादफ्तर (राज.)</p>	